

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2021

FOR

ADMISSION TO MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS / BV.Sc & AH COURSES
AS PER RANK LIST OF NEET(UG)-2021 AGAINST STATE QUOTA SEATS

(UGMAC – 2021)

(MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS / BV Sc. & AH Courses)

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - 2021

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Visit our Website: bceceboard.bihar.gov.in

UGMAC-2021 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विवरण</u>	<u>कांडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	1	1
2.	संस्थान परिवर्तन ।	2	1
3.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	3	1
4.	चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें।	4	2
5.	पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ ।	5	3
6.	NEET(UG)-2021 की मेधा-सूची के आधार पर UGMAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क ।	6	4
7.	कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	7	5
8.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	8	6
9.	परिशिष्ट-1 (Schedule-I) (सरकारी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	7
10.	परिशिष्ट-1 (Schedule-II) (निजी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	8
11.	परिशिष्ट-2 (Schedule-I) सरकारी आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण।	-	9
12.	परिशिष्ट-2 (Schedule-II) (निजी आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण।	-	10
13.	परिशिष्ट-3 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण	-	11
14.	परिशिष्ट-4 (प्रमाण-पत्र / अंक-पत्र / अन्य अभिलेख की सूची)	-	12
15.	परिशिष्ट-5 (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची)	-	13
16.	परिशिष्ट-6 (LIST OF CENTRES FOR DISABILITY CERTIFICATES)	-	14
17.	परिशिष्ट-7 (Formate of DISABILITY CERTIFICATE)	-	15
18.	परिशिष्ट-8 (Gazette)	-	16-23

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
अन्डर ग्रेज्यूएट मेडिकल एडमिशन काउन्सेलिंग-2021
(Under Graduate Medical Admission Counselling-2021)

विवरण पुस्तिका

1. परिचय :

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-सं.सं.-1/प.नि.-05/2021-13(1) दिनांक 12.01.2022 के आलोक में बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी पाठ्यक्रमों तथा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के बी.भी. एस-सी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग राष्ट्रीय स्तर पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2021 की मेधा-सूची के अनुसार राज्य कोटा की सीटों पर, मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका “UGMAC-2021 की विवरण पुस्तिका” के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी।

1.2 परिभाषायें :

- (i) “पाठ्यक्रम” से अभिप्राय है स्नातक स्तर के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी तथा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम।
- (ii) “परीक्षा” से अभिप्राय है सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2021।
- (iii) “पर्षद” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) “सरकार” से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- (vi) “बिहार” से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।
- (vii) **चिकित्सा धारा से अभिप्राय :**
चिकित्सा धारा से अभिप्राय है राज्य के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बी कॉलेजों के पाठ्यक्रम।
- (viii) **कृषि धारा से अभिप्राय :**
कृषि धारा से अभिप्राय है राज्य के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम।

2. संस्थान परिवर्तन :

चिकित्सा धारा एवं कृषि धारा के अन्तर्गत संस्थान परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा क्रमशः स्वास्थ्य विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संशाधन विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

3.1 NEET (UG)-2021 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए UGMAC-2021 के Online आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो। राष्ट्रीय स्तर पर OBC (Other Backward Class) को बिहार राज्य में BC (Backward Class) एवं EBC (Extremely Backward Class) के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही उल्लेख करें।

3.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कडिका-3.1 के आलोक में आर्वटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %

4. पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC) **12 %**
5. आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG) **3 %**
6. * आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS) **10 %**

शेष **40%** अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होंगी।

नोट - * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

3.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

3.4 NEET (UG)-2021 की मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा।

NEET (UG)-2021 की प्राप्त मेधासूची में अभ्यर्थी की जो आरक्षण कोटि (OBC / SC / ST) दर्ज है वही आरक्षण कोटि UGMAC-2021 के लिए मान्य होगी। OBC आरक्षण कोटि को अभ्यर्थी OBC के स्थान पर बिहार राज्य में लागू BC और EBC जो भी उनकी आरक्षण कोटि हो उसे ही भरें।

3.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर Unreserved (UR) की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें Unreserved (UR) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

(iii) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु इस महाविद्यालय में अनुमान्य आरक्षण व्यवस्था मान्य होगी।

3.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

3.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की पाँच प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि

राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया आरम्भ करने तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

3.6.2 दिव्यांग कोटा के अंतर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम [PG (MD/MS)/(MBBS / BDS / BAMS/ BHMS / BUMS)] का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। भारत का राजपत्र संख्या-162E दिनांक 14.05.2019 के प्रावधानों के आलोक में डाक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक का नामांकन हो सकेगा।

3.6.3 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी UGMAC-2021 / PGMAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर DQ (Disable Quota) अंकित करें जो NEET (UG/PG)-2021 की मेधासूची में उनके दिव्यांग (PH) या (DQ) होने को संपुष्ट करता हो। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-(5) एवं परिशिष्ट-(6) में अंकित निर्धारित चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा Regulation on Graduate Medical Education (1997) as amended upto 14.05.2019 के आलोक में दिव्यांगता जाँच उपरांत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-7) में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नामांकन के पूर्व Documents Verification के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट - परिशिष्ट-5, 6 एवं 7 में अंकित क्रमशः चिकित्सा संस्थानों/ दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के मेडिकल/ आयुष/ अभियंत्रण/ कृषि आदि संस्थानों में नामांकन हेतु ही मान्य होगा, अन्य किसी और प्रयोजन हेतु नहीं।

4. चिकित्सा धारा में चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक/ तिब्बि संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें:

विभिन्न चिकित्सा / दन्त चिकित्सा / आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / तिब्बि चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 (सिड्युल-I एवं सिड्युल-II) तथा परिशिष्ट-2 (सिड्युल-I एवं सिड्युल-II) में दिया गया है। बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी।

4.1 चिकित्सा धारा के पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :-

4.2 शैक्षणिक :

(i) 10 + 2 / आई.एस.सी. / प्री-मेडिकल या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी (भाषा और सहित्य के रूप में) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (बौटनी एवं जुलॉजी) / वायोटेक्नोलॉजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण। सामान्य वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग एवं जीव विज्ञान / वायोटेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% अंक किन्तु अनुसूचित

जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / अत्यन्त पिछड़े वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव-विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर 40% अंक प्राप्त होना चाहिए ।

- (ii) (क) उपरोक्त के अतिरिक्त NEET(UG)-2021 की परीक्षा के आधार पर बनायी गयी Unreserved (UR) में सम्मिलित अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50 % से कम नहीं होना चाहिए । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 40 % से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना के BUMS पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ग) दिव्यांग अभ्यर्थियों, के लिए NEET(UG)-2021 की परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान / वायोटेक्नोलौजी को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 45 % से कम नहीं होना चाहिए । परन्तु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ी जाति (BC) और अत्यन्त पिछड़ी जाति (EBC) के आवेदकों की अर्हता (Eligibility), अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में 40 % प्राप्तांक यथावत् होगी ।

- (iii) उपरोक्त कडिका- 4(i) एवं 4(ii) के प्रावधान मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है और वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

- (iv) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी ।

4.3 आयु सीमा :

MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BUMS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु-सीमा NEET(UG)-2021 की परीक्षा-वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए । तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.2004 के बाद नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया / राज्य सरकार के अद्यतन प्रावधान लागू होंगे।

4.4 शारीरिक :

प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी । जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवंटन-आदेश निर्गत होगा । इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा ।

4.5 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक NEET(UG)-2021 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।
अथवा
- II. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बाध शरणार्थी हैं।
अथवा
- III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ।
अथवा
- IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।
अथवा
- V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।
अथवा
- VII. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

4.6 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु अभ्यर्थी भारत वर्ष का निवासी होना चाहिए एवं NEET(UG)-2021 में योग्यता प्राप्त (NEET Qualified) होना चाहिए ।

5. कृषि धारा में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचनाएँ एवं वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :-

5.1 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम एवं कुल सीटों की संख्या परिशिष्ट-3 में देखें । इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सूचना नामांकन के समय दे दी जायेगी ।

परिशिष्ट-3 की सूचि में संस्थान एवं अतिरिक्त सीटों को जोड़ने या बदलने का अधिकार परीक्षा पर्षद / सरकार को सुरक्षित होगा।

5.2 सीट आरक्षण :

(क) इस पाठ्यक्रम में कुल उपलब्ध सीटों का 15 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेगी ।

(ख) शेष सीटों पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

(ग) दिव्यांग कोटा की सीटों के लिए आरक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी प्रावधान कडिका 3.6 में देखें ।

5.3 अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यता / अर्हताएँ :

शैक्षणिक :

(क) 10+2 / आई.एस.-सी. या समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी (Unreserved category) के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित अंक से 5 प्रतिशत कम (47.5 प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) वे छात्र जिन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की हो, और जो अब और भारत के पशु चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हों, उनके लिए 12वीं कक्षा के स्तर की परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान/ जैव-प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण और इन विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा।

5.4 आयु सीमा :

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.2004 के बाद नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.1996 के पूर्व नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

5.5 शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डाक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अगल से शुल्क लगेगा।

5.6 आवासीय अर्हता :

वही नियम जो कडिका 4.5(i) से (vii) में उल्लेखित है।

5.7 शर्त :

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-1 स्था. (1) 101/2019-1381 पटना 15, दिनांक 29.01.2019 के आलोक में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में बी.भी. एस.-सी. एण्ड ए. एच. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशोपरान्त एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले बीच में अध्ययन छोड़ने की परिस्थिति में उन्हें 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये की छतिपूर्ति राशि विश्वविद्यालय में जमा करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को जमानत-पत्र विश्वविद्यालय को जमा करना अनिवार्य होगा।

6. NEET(UG)-2021 की मेधा-सूची के आधार पर UGMAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क :

(i) योग्यता (Eligibility) :

NEET (UG)-2021 जो राष्ट्रीय स्तर पर CBSE, New Delhi द्वारा आयोजित की गई है, के आधार पर प्राप्त मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी ही UGMAC-2021 के लिए Online आवेदन करने हेतु योग्य (Eligible) है।

(ii) UGMAC-2021 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता:

उपर वर्णित कडिका-5.4 एवं 6(i) के अनुसार योग्य (Eligible) अभ्यर्थियों के लिए UGMAC-2021 के आधार पर MBBS / BDS / BAMS / BHMS / BUMS/ BV. Sc. & AH पाठ्यक्रमों की बिहार राज्य कोटा की सीटों पर नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कडिका-6(iii) में दी गयी है। जो अभ्यर्थी UGMAC-2021 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे UGMAC-2021 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित नहीं हो

सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

UGMAC-2021 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं।

UGMAC-2021 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Online Application Portal of UGMAC-2021' के Link पर Click कर "Apply Online" button पर click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

I. Step-One - Registration : For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email_id and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email_id and mobile no. Also the candidate will receive a SMS. The received email and SMS will contain an "ACTIVATION CODE" which is to be used by the candidate to activate his account. The candidate should click "Activate Your Account" Button and enter the email_id and received Activation code to activate his / her account. There after click the "Submit" button. After activating the account the candidate should click the "Sign in" button and enter the email Id and password to proceed further. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email id given by the candidate will be his user name.

II. Step-two - (Personal Information) : After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

III. Step-Three - (Upload Photo and Signature) : After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Save & Continue" button.

IV. Step-Four - (Educational Information) : After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "Save & Continue" button.

V. Step - Five (Preview your application) : After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "Back to Edit" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "Save & Continue" button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate give his / her Declaration and click the "Confirm & Submit" button so that he / she should pay Examination Fee as per Step-Six.

VI. Step - Six (Payment of Counselling Fee) : After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "Proceed to Payment" button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not be refunded. There are following modes for payment of Counselling Fee.

a. Online Payment : Candidate have to pay Counselling Fee through Online mode e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking, he / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and "Make the

Payment" should be made through Credit Card / Debit Card / Net banking. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.

- b. **Counselling Fee** : Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 1200/- (One Thousand Two Hundred) only for Unreserved/ BC / EBC candidates and Rs. 600/- (Six Hundred) only for SC / ST / DQ candidates.

VII. Step - Seven (Download part- A & Part-B) : After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the UGMAC-ID made available by the Board for further use during counselling.

Note : a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/ rules / category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for NEET (UG)-2021.

- b. Hard copy of PART-A & PART-B need not to be send to Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
- c. After online submission of application, if the applicant finds that while filling up such application the error regarding any entries/ photo / signature uplodng has / have been made, then **he/ she will have opportunity to edit / rectify the same on 23.01.2022.**
- d. After due date of editing of online application form, there will be no provision for any change or modification in the filled up online application form.
- e. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refunding paid counselling fee will be entertained.
- f. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait for last dates and complete all procedure before due date.
- g. Final Merit list will be prepared after scrutinising the data of NEET(UG)-2021 provided by Health Deptt., Govt. of Bihar.
- h. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
3. DQ candidates must note that they have to submit DQ certificate issued by only authorised Centres / Institutes on prescribed proforma as per para-3.6.3 (Annexure-5, 6, 7) of the prospectus of UGMAC-2021 at the time of counselling / document verification. For this, after filling and downloading the hard copy of online application form, candidates must consult any concerned authorised Medical College / Centre / Institute with the downloaded online application form for disability test for obtaining disability certificate.
Certificate issued from any other Institutes / Centres except above **will not be entertained**, for which the candidate will himself be responsible.
4. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled date ;
- Original Admit Card of NEET(UG)-2021
 - Original Score Card of NEET(UG)-2021
 - Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Matric / equivalent exam.
 - Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Intermediate/ 10+2 / equivalent exam.
 - Residential Certificate.
 - Caste Certificate.

- All the Certificate / documents in original as per the requirements of admissions in Private Medical / Dental Colleges.
- Six copies of the passport size photographs, which was pasted on the Admit Card of NEET(UG)-2021.
- Downloaded print of Online filled Application Form (Part A & Part B) of UGMAC-2021.
- Aadhar Card.
- Any other documents required (if any) such as DQ (PH)/ SMQ / EWS Certificate etc.

5. **Important dates for UGMAC-2021 :**

- Online Registration starting date : **16.01.2022**
- Online Registration closing date : **22.01.2022 (10.00 PM)**
- Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate : **22.01.2022 (11.59 PM)**
- Online Editing of Application Form : **23.01.2022**
- Publication of Rank Card / Merit List : **24.01.2022**
- Proposed starting date for Choice filling and Counselling Programme : **24.01.2022**

7. **कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :**

7.1(क) जो आवेदक अपने ऑन लाइन प्रपत्र / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा । ऐसे निष्कासित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

7.1(ख) बिहार राज्य स्थित निजी मेडिकल / निजी डेंटल कॉलेजों की एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

7.2 NEET(UG)-2021 के आधार पर बिहार कोटा की मेधा-सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

7.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, निर्धारित तिथि को (कॉउन्सेलिंग के क्रम में) पाठ्यक्रम / संस्थान का आवंटन किया जायेगा । आवंटन हेतु डाक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर ही अन्तिम रूप से सीट (पाठ्यक्रम / संस्थान) आवंटित किया जा सकेगा।

7.4 NEET (UG)-2021 की मेधासूची के आधार पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ

इंडियन मेडिसीन/ भेटनरी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के प्रावधान को लागू किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ होमियोपैथी/ सेन्ट्रल कॉउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन/ भेटनरी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो विचारोपरान्त तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

7.5 NEET (UG)-2021 के सम्बन्ध में विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाएँ या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाएँ, इसी विवरण पुस्तिका के भाग होंगे।

8. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

8.1 NEET (UG)-2021 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।

8.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।

8.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।

8.4 समय-समय पर Website के माध्यम से UGMAC-2021 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।

8.5 UGMAC-2021 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।

8.6 इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

8.7 (क) अगर कोई अभ्यर्थी UGMAC-2021 के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी।

(ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या NEET(UG)-2021 की परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़े जाने की पुष्टि होती है तो नामांकन हेतु निर्गत आवंटनादेश स्वतः रद्द हो जायेगा।

8.8 NEET (UG)-2021 की मेधा-सूची में सम्मिलित सभी

अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।

8.9 कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा।

8.10 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGMAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

8.11 नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।

8.12 UGMAC-2021 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेंगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

,,,,,,,,,,,,,

परिशिष्ट-1 (Schedule-I)
(Govt. Medical / Dental Colleges)

**Statement of total available seats in different Govt. Medical / Dental
Colleges of the State of Bihar**

Schedule – A

Note : State Govt. / BCECE Board reserves the right to add new Institution / Seats in this Statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Govt. Medical / Dental College	Total seats	Central Nominees	All India Quota	Ward of Insured Persons (IP) Quota	Available seats for Counselling
1.	P.M.C, Patna	200	5	30	-	165
2.	D.M.C., Laheriasarai	120	5	18	-	97
3.	J.L.N.M.C., Bhagalpur	120	4	18	-	98
4.	N.M.C., Patna	150	4	22	-	124
5.	S.K.M.C., Muzaffarpur	120	4	18	-	98
6.	A.N.M.M.C., Gaya	120	4	18	-	98
7.	I.G.I.M.S., Patna	120	-	18	-	102
8.	Govt. Medical College, Bettiah	120	-	18	-	102
9.	Vardhman Medical College, Pawapuri, Nalanda	120	-	18	-	102
10.	Jannayak Karpoori Thakur Medical College & Hospital, Madhepura.	100	-	15	-	85
11.	ESIC Medical College & Hospital, Patna	100	-	15	35	50
12.	Patna Dental College, Patna	40	4	06	-	30
	TOTAL	1430	30	214	35	1151

Important Notes :

- (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
- (ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disabled Quota Seats.

परिशिष्ट-1 (Schedule-II)
(Private Medical / Dental Colleges)
Statement of available seats in different Private Medical / Dental
Colleges of the State of Bihar

Schedule – B

Note : State Govt. / BCECE Board reserves the right to add new Institution / Seats in this Statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Private Medical / Dental College	Total seats	UR	Muslim Minority	Sikh Minoriti	NRI
A)	Medical Colleges :					
1.	Katihar Medical College, Katihar	150	52	75	0	23
2.	Mata Gujari Memorial Medical College, Kishanganj	100	55	0	30	15
3.	Narayan Medical College & Hospital, Sasaram	150	128	0	0	22
4.	Lord Buddha Koshi Medical College & Hospital, Saharsa	100	85	0	0	15
5.	Madhubani Medical College, Madhubani	150	53	75	0	22
6.	Netaji Subhash Medical Collge & Hospital, Bihta	100	85	-	-	15
7.	Shri Narayan Medical Institute & Hospital, Saharsa	150	127	-	-	23
8.	RDJM Medical College & Hospital, Turki, Muzaffarpur	150	127	-	-	23
B)	Dental Colleges :					
1.	Buddha Institute of Dental Science & Hospital, Kankarbagh, Patna	100	100	0	0	0
2.	Mithila Minority Dental College & Hospital, Darbhanga	60	25	26	0	9
3.	Sarjug Dental College & Hospital, Laheriasarai, Darbhanga	40	40	0	0	0
4.	Dr. B.R. Ambedkar Institute of Dental Science & Hospital, Patna.	40	40	-	-	-

Important Note :

- (i) Subjected to recognition of the Institution / Seats By MCI / DCI & Govt. of Bihar
- (ii) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

परिशिष्ट-2 (Schedule-I)

Statement of total available seats in different Govt. Colleges in Medical stream (Ayush) of the State of Bihar

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	College	Total seats	Central Nominees	All India quota	State seats	UR category	S.C. Category	S.T. Category	E.B.C Category	B.C. Category	Girls of reserved category	EWS
1.	Rajkiya Ayurvedic College, Patna	125	0	19	106	42	17	01	19	13	03	11
2.	Rajkiya Ayodhya Shiv Kumari Ayurveda College & Hospital, Begusarai	38	0	6	32	13	5	0	6	4	1	3
3.	R.B.T.S. Govt. Homoeopathic Medical College, Muzaffarpur	75	0	11	64	26	10	01	11	08	02	06
4.	Govt. Tibbi College, Patna	115	0	17	98	39	16	01	17	12	03	10

Note :

- (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
- (ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.
- (iii) Admissions in All the Colleges mentioned above will be taken after due permission / recognition of the Institute from Ministry of Ayush, Govt. of India.

परिशिष्ट-2 (Schedule-II)
(Private Ayush Colleges)

**Statement of available seats in different Private Homoeopathy/
Ayurvedic/ Unani Colleges of the State of Bihar**

Schedule – B

Note : State Govt. / BCECE Board reserves the right to add new Institution / Seats in this Statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Name of Institution	Course	State quota Seats	Available seats for Counselling	
A)	Homoeopathic Colleges :				
1.	Dr. Ram Balak Singh Gaya Homoeopathic Medical College & Hospital, Amwan, Gaya	BHMS	42	* Subjected to recognition of the Institution/ Course/ Seat By Ministry of Ayush, New Delhi and Govt. of Bihar	
2.	Dr. Yaduvir Sinha Homoeo, Medical College and Hospital, Darbhanga	BHMS	42		
3.	G.D. Memorial Homoeo Medical College and Hospital, Patna	BHMS	85		
4.	Dr. Halim Homoeo Medical College & Hospital, Laheriasarai, Darbhanga	BHMS	42		
5.	Kent Homoeo Medical College & Hospital, Hajipur, Vaishali	BHMS	42		
6.	Maharshi Mehi Homoeo Medical College and Hospital, Katihar	BHMS	42		
7.	Patna Homoeopathic Medical College & Hospital, Patna	BHMS	42		
B)	Ayurvedic Colleges :				
1.	Dayanand Ayurved College & Hospital, Siwan	BAMS	38		
2.	Swami Raghvendra Tridandi Ayurved College, Gaya	BAMS	40		
3.	Niteshwar Ayurved College & Hospital, Muzaffarpur	BAMS	30		
4.	Sri Moti Singh, Jageshwari Ayurved College & Hospital, Chapra	BAMS	30		
C)	Unani Colleges :				
1.	Suffia Unani Medical College, Bara Chakiya, East Champaran	BUMS	30		
2.	Nezamiya Unani Medical College & Hospital, Gaya	BUMS	34		
3.	Salfia Unani Medical College & Hospital, Lahariyasarai, Darbhanga	BUMS	34		
4.	Zulfequar Haider Unani Medical College & Hospital, Nawalpur, Siwan	BUMS	21		

Important Note :

- (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.
- (ii) Total Seats in Private Homoeopathic / Ayurvedic/ Unani College will be made known at the time of counselling.

परिशिष्ट-3

(क) कृषि धारा में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में कोटिवार उपलब्ध सीटों का विवरण

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

स्नातक पाठ्यक्रम	कुल सीट	राज्य कोटा के 85 % सीट (51 सीटों) का बँटवारा आरक्षण रोस्ट्रों के अन्दर							
		15 % सीट VCI कोटा के तहत	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	EWS
1. स्नातक (पशु चिकित्सा) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना ।	60	9	20	9	0	10	6	1	5

नोट: (i) संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काँउंसैलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) दिव्यांग कोटा की 2 सीटें (क्षैतिज आरक्षण) संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं। दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होंगे उनकी गिनती उसी विशेष (UR / Reserved) कोटि में की जायेगी। योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में physically fit उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

परिशिष्ट-4

प्रमाण पत्र / अंक पत्र / अन्य अभिलेख की सूची

-
- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Mark sheet and Admit Card of +2/I.SC or equivalent Examination | - | by relevant Board/ Council. |
| 2. | Passing Certificate of +2/I.SC or equivalent Examination | - | by relevant Board/ Council |
| 3. | Mark sheet and Admit Card of 10th / equivalent Examination's mark sheet/ Certificate/ Admit Card | - | by relevant Board/ Council |
| 4. | Caste Certificate & Permanent Residential Certificate | - | Issued by CO & Countersigned by SDO (Civil) / DM of Permanent Residence. |
| 5. | Character Certificate | - | Issued by Head of Institution last attended/ studied |
| 6. | Income Certificate (if needed) | - | Issued by CO & Countersigned by SDO(Civil) / DM of Permanent Residence. |
| 7. | Admit Card | - | As issued by NEET(UG)-2021 |
| 8. | Photograph | - | Four Photo graphs identical to one used for preparing the Admit Card of NEET (UG)-2021 |
| 9. | Certificate of Disable Quota | - | As per Para-3.6.2 of this prospectus . |
| 10. | Aadhar Card (Identity Certificate). | | |
| 11. | Hard Copy of Online submitted application form (Part-A & Part-B) | | |

परिशिष्ट-5दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची

S.No.	Name of Medical Colleges / Institutions	Speciality for Disability
1.	PMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
3.	NMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
2.	IGIMS, Patna	Visual Impairment / Hearing and Speach Disability
4.	DMCH, Darbhanga	Visual Impairment / Locomotor Disability
7.	JLNMCH, Bhagalpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
6.	ANMMC, Gaya	Visual Impairment / Locomotor Disability
5.	SKMCH, Muzaffarpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
8.	GMCH, BETTIAH	Locomotor Disability
9.	VIMS, PAWAPURI	Locomotor Disability
10.	JKTMC & H. MADHEPURA	Locomotor Disability

परिशिष्ट-6

LIST OF CENTRES FOR DISABILITY CERTIFICATES
(AS PER 21 BENCHMARK DISABILITIES GIVEN UNDER RPWD ACT-2016)
ISSUED BY NTA FOR ADMISSION ON THE BASIS OF NEET PG / UG - 2021

S.No.	Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016	City / State
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital,	New Delhi
2.	all India Institute of Physical Medicine and Rehabilitaion (for Locomotor Disability only)	Mumbai
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research	Kolkata
4.	Madras Medical College	Chennai
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra
6.	Goa Medical College	Goa
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala
8.	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan
9.	Govt. Medical College and Hospotal, Sector-32	Chandigarh
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala / Tripura
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University	Varanasi / Uttar Pradesh
12.	Ali Yavar Jund National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai (For Hearing Disabilitites Only)	Mumbai, Maharashtra
13.	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra

**CERTIFICATE OF DISABILITY FOR ADMISSION IN MEDICAL / ENGINEERING / AYUSH /
AGRICULTURE COURSES**

(As per Gazette Notification No.-MCI-18(1)/2018-Mes./187262 dated 5th Feb 2019/
14th May 2019 for Admission to Medical Courses in Bihar State Quota)



Certificate No.: **Dated:**

Name of the Designated Centre :

This is to certify that Dr. / Mr. / Ms.

Aged: years Son / Daughter of Mr.

Residential Address :

UGMAC 2021 id: State DQ Rank

NEET(UG)-2021 AIR:has the following disability (name of the specified disability)
..... in (percentage) of (in words)

....., (In figure).

* **Please tick on the “Specified Disability”**

[Assessment to be done in accordance with the Gazette Notification no.-E-162 dated 14.05.2019]

SN.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. other such as amputation, pollomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic / Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, dyspraxia & Development Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinson's disease i. Hemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disability including Deaf Blindness		More than one of the above-specified disabilities

* **Conclusion:** He / She is **Eligible / Not Eligible** for admission in Medical / Dental Courses as per the aforesaid Gazette Notification(s) subject to his being otherwise medically fit.

Functional competency with the aid of Assistive devices in case of Locomotor* / Visual* / Hearing* Impairment, if any

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

(Signature of Principal)
Name :
Name of Institution

मेडिकल / डेंटल पाठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड की संशोधित एवं अद्यतन मार्गदर्शिका

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./112862.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

- (i) इन विनियमों को “स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019” कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” के परिशिष्ट “ज” में एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत “विशिष्ट विकलांगताओं” वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश को परिशिष्ट “ज-1” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./45/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018, 21.05.2018 और 05.02.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट-ज-1

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 4 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी ङ. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य***जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता: 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए, निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो यह पाठ्यक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	80% से अधिक विकलांगता
* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुसारी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुसारी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।						
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता		40% के बराबर या

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज			
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
					-	इससे अधिक विकलांगता	
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
			<p>(*)40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टिसहायक उपकरण जैसेकि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बैचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60%से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।</p>				
		घ.वाक् एवं भाषा विकलांगताएं\$	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
		<p>\$वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (तीन) से अधिक न हो, जोकि 40% या उससे कम हो।</p> <p>वाचाघात वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वाचाघात लब्धि (एक्यू) 40%या उससे कम हो।</p>					
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्टज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक एफासिया)#	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता। परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%-60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता और/ या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुलऊतकदृढ़न ii. पार्किनसोनिज्म	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया ii. थैलिसीमिया iii. सिक्कल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रोग विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:</p> $क + \left[\frac{ख (90-क)}{90} \right]$ <p>(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।</p>		

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION
OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2019

No.MCI-34(41)/2019-Med./112862.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Graduate Medical Education Regulation, 1997”, namely: —

1. (i) These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, (Amendment), 2019”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in Appendix “H” - Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS –shall be substituted with Appendix “H-1”.

DR. R. K. VATS, Secy. General

[Advt.-III/4/Exty./45/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Graduate Medical Education Regulations, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018, 21/05/2018 & 05/02/2019.

Appendix “H - 1”

Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS Course.

- Note : 1. The “Certificate of Disability” shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.
2. The extent of “specified disability” in a person shall be assessed in accordance with the “Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)” notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. **The term ‘Persons with Disabilities’ (PwD) is to be used instead of the term ‘Physically Handicapped’ (PH).**

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range				
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course		
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%		
			b. Cerebral Palsy**					
			c. Dwarfism					
			d. Muscular Dystrophy					
			e. Acid attack victims					
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.					
		<p>* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course.</p>						
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness	Less than 40% disability		-	Equal to or More than 40% Disability	
			b. Low vision					
		C. Hearing impairment@	a. Deaf	Less than 40% Disability		-	Equal to or more than 40% Disability	
b. Hard of hearing								
(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids								

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
			such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			\$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (three), which is 40% or below. Persons with Aphasia shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.			
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed. Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel.	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability.
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for MBBS course by an expert panel.	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing MBBS course by an expert panel.
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassaemia			
		iii. Sickle cell disease				
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $a + \left[\frac{b(90-a)}{90} \right]$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.</p>		